कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

9076
05-7-17

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

5.5 (PM)

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, पूर्णियाँ
जिला– पूर्णिया

US/5-7-7
11-7-17

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
07 JUL 2017
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

नगर निगम, पूर्णियाँ के वर्ष 2015–16 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 288 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14678 / 126 **दिनांक–** 5.7.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्णियाँ

05/07/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
10 JUN 2017
6271
संख्या............
बिहार, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–288 / 17–18

प्रस्तावना (भाग–1)

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर निगम, पूर्णियॉ
2	लेखा की अवधि	2015–16
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	सहायक रोकड़पंजी, बैंक पासबुक योजना पंजी, योजना अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका आदि की जॉच की गई।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	10.01.2017 से 03.02.2017
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	1 श्री सिकेन्द्र कुमार, स0ले0प0अ0 2 श्री रामनाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक 3 श्री राजेश कुमार सिंह, व0ले0प0 4 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, ले0प0
6	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री डी0के0सिन्हा, ले0प0अ0
7	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अप्रस्तुत
8	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श किया गया था?	हॉ, 03.02.2017 को विचार विमर्श किया गया

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर निगम पूर्णियॉ द्वारा दिये गये आवश्यक दस्तावेज / सूचनाओं एवं आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालय द्वारा दी गई गलत सूचनाओं / आँकड़ों में त्रुटि के लिए कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना जिम्मेवार नहीं है।

भाग– I I(क)

कंडिका संख्याः 01

13वीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का विचलन कर अनुपयोगी उपकरण के रुप में बड़ा पानी टैंकर (ट्रक माउन्टेड स्टील वाटर टैंक) के कय पर निष्फल व्यय राशि रुपये 82.85 लाख

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक– 2ब./13वॉ वित्त 25.02/2014–3253/न. वि. एवं आ.वि. दिनांक 27.10.14 के अनुसार 13वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के व्यय हेतु पूर्व के प्रावधान में संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये गये थे–

(i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन– उपकरणों के कय, उपकरणों को रखने हेतु शेड निर्माण, सफाई हेतु मजदूरों के भुगतान, ट्रैक्टर के भाड़ा भुगतान outsourcing के माध्यम से सफाई हेतु एजेंसी के भुगतान आदि पर 40–50 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

(ii) जलापूर्ति– पाईप जलापूर्ति, submersible pump के माध्यम से जलापूर्ति तथा चापाकल के माध्यम से जलापूर्ति पर 10–20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

(iii) स्ट्रीट लाईट– हाई मास्ट लाईट/स्ट्रीट लाईट लगाने उसके रख– रखाव तथा बिजली बिल के भुगतान पर 10 प्रतिशत तक राशि का व्यय किया जाये।

(iv) रैन बसेरा– रैन बसेरा/oldage home के निर्माण एवं रख– रखाव पर 10–20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

(v) नाला निर्माण– नगर निकाय क्षेत्राधिकार अंतर्गत नाला निर्माण पर 10–20 प्रतिशत का व्यय किया जाये।

नगर निगम पूर्णियॉ के 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन कम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 3 अद्द बड़ा वाटर टैंकर (truck mounted stainless steel water tanker) का कय किया गया जो 13वें वित्त आयोग के अनुदान राशि के व्यय हेतु नगर विकास विभाग के उक्त आदेश में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता था। इस प्रकार 13वीं वित आयोग से प्राप्त राशि रुपये 8285100 का विचलन किया गया था। विवरणी इस प्रकार है––

क्रम सं.	चेक सं./तिथि	अभिश्रव सं.	राशि
1	281441/22.08.15	23, 24 एवं 25	7226652
2	281442/22.08.15	26	985452
3	आयकर की राशि	42	72996
		कुल व्यय	8285100

आगे, **यह भी पाया गया कि** दिनांक 21.07.2012 को महापौर, नगर निगम की अध्यक्षता में आहुत बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के प्रस्तावना सं. 02 में सरकार द्वारा 13वें वित मद में आवंटित राशि में से 50% (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन) नगर निगम के लिये सफाई कार्य को प्रमुखता देते हुए निम्नलिखित सामानों की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गयी–

(i)	हाइड्रोलिक टैम्पु	23 अद्द
(ii)	फाइवर हैण्ड ट्रॉली (250ली0)	50 अद्द
(iii)	ट्रैक्टर बैक पे लोडर	1 अद्द
(iv)	सक्शन मशीन 7000 लीटर	2 अद्द
(v)	चलन्त शौचालय	01 अद्द
(vi)	पानी टंकी	05 अद्द
(vii)	एम्बुलेंस (ए.सी.)	01 अद्द
(viii)	शव ढोने वाला वाहन	01 अद्द
(ix)	छोटा साइज का रोड रोलर	01 अद्द

इसके अतिरिक्त चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से फॉगिंग मशीन की खरीद की स्वीकृति दी गयी।

उपरोक्त सामग्रियों की खरीद की स्वीकृति के आलोक में दिनांक 23.10.2012 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से उपर्युक्त सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (tender no 04/2012-13) किया गया जिसमें 5 अदद पानी टंकी (water tank) भी शामिल थे।

दिनांक 30.10.2012 को सम्पन्न हुए निविदा के आधार पर पानी टंकी (water tank 3000 ltr) 2 अद्द (प्रति पानी टंकी 145000 + 13.5% वैट की दर से) एवं अन्य पॉच समाग्रियों की आपूर्ति विभिन्न स्वीकृत दर पर नगर निगम पूर्णियॉ के पत्रांक 05.02.13 के माध्यम से आपूर्ति पत्र प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर सुप्रीम इंटरप्राइजेज पटना– 20 को आपूर्ति आदेश दिया गया।

पुनः अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये चलंत शौचालय एवं पानी टंकी क्रय से संबंधित संचिका की टिप्पणी के अनुसार पाया गया कि नगर निगम की बैठक दिनांक 16.09.12 के प्रस्ताव सं. 02 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में जलापूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत पूर्व में चलंत शौचालय एवं पानी टंकी का आपूर्ति आदेश हवाला देते हुए उल्लेख किया गया कि आपूर्तिकर्ता सुप्रीम इंटरप्राइजेज को दिये गए आपूर्ति आदेश की अवधि के दो वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी आपूर्ति नहीं किये जाने के फलस्वरूप भवदीय द्वारा सरकार के ज्ञापांक 2044 दिनांक 24.04.2008 के आलोक में कटिहार नगर निगम के द्वारा उक्त समानों के लिए निकाले गये निविदा की स्वीकृति एवं आपूर्ति आदेश मंगवाकर एवं आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क कर सहमति का निर्णय लिया गया तथा उक्त आधार वर्ष 2015–16 में एक साथ तीन ट्रक माउंटेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर की खरीद मेसर्स Ginee infratech India Ltd., New Delhi से प्रति टैंकर रू. 2761700 की दर से क्रय किया गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा छोटा पानी टंकी (3000लीटर) की आवश्यकता एव क्रय हेतु स्वीकृति दी गई थी तथा वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 8285130/- उक्त सामग्री के क्रय एवं निबंधन शुल्क पर 13वीं वित मद से व्यय किया गया जो इस प्रकार है–

क्रम सं.	चेक सं./तिथि	अभिश्रव सं.	राशि
1	281441/22.08.15	23, 24 एवं 25	7226652
2	281442/22.08.15 वैट की राशि	26	985452
3	आयकर की राशि	42	72996
		कुल व्यय	8285100

उक्त तीनों ट्रक माउन्टेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर (बड़ा पानी टैंकर) का क्रय कर 28.07.15 को नगर निगम के भंडार पंजी में प्रविष्टि कर ली गयी थी। उक्त तीनों पानी टैंकर गाड़ी के लॉगबुक में अस्थायी निबंधन (गाड़ी नं.) क्रमांक क्रमशः HR-38T-1532, HR-38T-1531 एवं HR-38T 1530 अंकित है जिसके अनुसार तीनों पानी टैंकर द्वारा उक्त पानी टैंकरों के प्राप्त होने की तिथि (22.07.15) से 20.01.2017 तक नगर निगम, पूर्णियॉ द्वारा मात्र 48,32 एवं 01 दिन ही कार्य लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि प्रथम आठ माह में उक्त तीनो पानी टैंकरों का उपयोग नहीं किया गया था तथा उपकरण की प्राप्ति से दिनांक 20.01.2017 तक तीनों पानी टैंकरो का एक दिन भी एक साथ उपयोग में नहीं लाया गया था।

उक्त उपयोगिता से स्पष्ट होता है कि नगर निगम पूर्णियॉ को तीन बड़े टैंकर की आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि 13 वें वित की ही राशि से जलापूर्ति के तहत खरीद की गई है चूंकि पूर्णियॉ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पानी में बहुत अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है तथा सभी क्षेत्रों में पाईप लाइन से जलापूर्ति की सुविधा नही होने के कारण आम नागरिको की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत ही क्रय की गई है।

आगे यह भी बताया गया कि पूर्व निविदादाता द्वारा सामानों की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण सरकार के पत्र के आलोक में सशक्त स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.03.2015 के प्रस्ताव संख्या –12 के तहत आम नागरिकों के आवश्यकता को देखते हुए खरीद की गई तथा गर्मी के समय में वैसे क्षेत्रों में जहॉ शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है उपलब्ध कराया जाता है साथ ही शादी, सभा, धार्मिक आयोजन हेतु चलंत शौचालय की खरीद की गई है।

कार्यालय द्वारा दिया गया उपर्युक्त जवाब मान्य नहीं है क्योंकि 13वें वित की राषि से उक्त पानी टैंकर खरीदने का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार 13वीं वित की राशि रुपये 8212104.00 का उक्त पानी टैंकर का क्रय पर अनियमित व्यय किया गया। नगर निगम के बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 5 अदद पानी टंकी की क्रय की स्वीकृति दी गयी थी जिसके आलोक में दो पानी टैंकर (3000 लीटर) की आपूर्ति आदेश प्रति टैंकर रु0 145000 +13.5 प्रतिशत वैट की दर से दिया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त पानी टैकर की आपूर्ति नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि नगर निगम को छोटा पानी टैंकर (3000 लीटर) के क्रय की आवश्यकता की स्वीकृति के आलोक में बड़ा पानी टैंकर का क्रय किया गया जिसकी आवश्यकता नगर निगम में नहीं थी। इस प्रकार अनुपयोगी उपकरण के रुप में ट्रक माउन्टेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर का पर्याप्त उपयोग नहीं होने के कारण उस पर किया गया व्यय रुपये 8285100 निष्फल था।

भाग–।।(ख)

कंडिका: 2

नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लिये जाने के कारण राशि रू. 41.10 लाख की हानि

बिहार बिल्डिंग बाईं लॉ 2014 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुननिर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग बाई–लॉ में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ में उल्लिखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस (नगर निगम क्षेत्र के लिए) जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

	क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
(i)	एक हेक्टेयर तक	₹ 10000/–
(ii)	एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	₹ 20000/–
(iii)	2.5 हेक्टेयर से उपर	₹ 30000/–

गैर आवासीय भवनों के लिए उपर्युक्त का दो गुणा शुल्क लेना है।

लेकिन नगर निगम, पूर्णियॉ के वर्ष 2015–16 से नक्शा पास से संचिका एवं पंजी के अवलोकन में पाया गया कि नगर निगम द्वारा किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए डेवलपमेंट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया है। नमूना लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नक्शा पंजी के अनुसार वर्ष 2015–16 में कुल 411 नक्शा स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार न्यूनतम प्रति नक्शा 10000 के आधार पर गणना करने पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर निगम, पूर्णियॉ को न्यूनतम ₹4110000 (10000X411) की हानि हुई।

(i) नियमानुसार उक्त डेवलपमेंट परमिट फीस नक्शा आवेदनकर्ता से नहीं लिये जाने का कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) वर्ष 2015–16 में व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन एवं आवासीय भवन के कितने संख्या में नक्शा स्वीकृत किये गये हैं उसकी सूची/ऑकड़े अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपर्युक्त के संबंध में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः डेवलपमेंट फीस की राशि की वसूली हेतु कार्रवाई कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

कंडिका: 3

<u>13वीं वित्त आयोग की राशि का प्रशासनिक मद में विचलन ₹ 3.50 लाख एवं फॉगिंग मशीन के कय पर व्यय राशि ₹ 11.83 लाख</u>

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 2ब./13वॉ वित्त 25–02/2014 के निर्देशानुसार 13वें वित्त आयोग की अनुदान की राशि का व्यय (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ii) जलापूर्ति (iii) स्ट्रीट लाईट लगाने, उसके मरम्मत रख– रखाव तथा बिजली बिल भुगतान (iv) रैन बसेरा/ old Age Home के निर्माण एवं रख– रखाव तथा (v) नाला निर्माण पर किया जाना है।

नगर निगम पूर्णियॉ के लेखा वर्ष 2015–16 के 13वीं वित्त आयोग की रोकड़ बही एवं अभिश्रव की नमूना जॉच में पाया गया कि 13वीं वित्त आयोग की अनुदान राशि में से ₹350581.985 का व्यय उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत नगर आयुक्त के वाहन BR-11T-5042 (₹123289.91), महापौर के वाहन BR-08P-2204, (₹104081), कार्यालय जेनरेटर (₹99524.075) तथा बाल अनुदान के जेनरेटर (₹23687) के ईंधन आपूर्ति पर किया गया था। इसके अतिरिक्त दो अद्द फॉगिंग मशीन का कय किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	मूल्य (₹)	भुगतान
1	फॉगिंग मशीन	2 अद्द	1400000	1183000

उपर्युक्त व्यय उपरोक्त ज्ञापांक के निर्देशानुसार 13वें वित्त आयोग अनुदान व्यय हेतु निहित प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता था।

जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि भूलवश राशि का विचलन कर व्यय किया गया जिसकी भरपाई नगर निधि से कर ली जाएगी।

अतः उपर्युक्त व्यय राशि ₹ 1533582/1426313 का विचलन किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

कंडिका: 4

आउटसोर्सिंग से करायी गयी सफाई पर व्यय राशिः रुपये 77.76 लाख

नगर निगम पूर्णियॉं क्षेत्रांतर्गत सफाई कार्य हेतु शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगींण विकास केन्द्र, पटना को वर्ष 2015–16 में कुल राशि ₹ 7776000 का भुगतान किया गया।

शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र तथा नगर निगम पूर्णियॉं के बीच दिनांक 17.01.07 को किए गए एकरारनामा के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान से पहले किए गए कार्यों का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संबंधित सेक्टर प्रभारी से निश्चित रूप से लेने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, मुख्य सफाई निरीक्षक के पर्यवेक्षण में सफाई कार्य करने और उसके प्रतिवेदन पर ही भुगतान करने का निर्देश था। इसके अलावे शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र के साथ नगर निगम, पूर्णियॉ की बीच हुई एकरारनामा में एकत्रित कूड़े में से न सड़ने वाली पदार्थों की छॅटाई कर सड़ने वाले कचड़ों से खाद का

निर्माण कर उसकी बिक्री से प्राप्त आय में 70% राशि नगर निगम को देने का प्रावधान था। परन्तु, कचरे से खाद् तैयार किया गया अथवा नहीं इसका कोई उल्लेख संचिका में नहीं पाया गया। खाद के निर्माण नहीं होने अथवा निर्माण होने की स्थिति में संस्था की राशि की वसूली पर विचार नहीं किया गया। खाद निर्माण नहीं होने की स्थिति में संस्था को देय भुगतान की राशि को भुगतान से पूर्व समीक्षा की जानी चाहिए थी।

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) क्या खाद निर्माण (कचरे द्वारा) शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास द्वारा किया जा रहा है यदि किया जा रहा है तो एकरारनामा के अनुसार इससे प्राप्त आय से 70% राशि नगर निगम पूर्णियॉ को प्राप्त हो रहा है। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) एकरारनामा में संस्थान को कितनी अवधि के लिए सफाई कार्य सौंपा गया यह उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में प्रतिमाह भुगतान राशि में वृद्धि का प्रावधान नहीं है लेकिन दिसम्बर 2014 से वर्तमान दर में 50% की बढोतरी कर भुगतान किया गया। वृद्धि का आधार का आकलन किस प्रकार किया गया, अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) उक्त संस्था को contract देने का आधार स्पष्ट नहीं था तथा संबंधित दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि

1. डंपींग यार्ड की जमीन हस्तानान्तरण प्रक्रीयाधीन होने के कारण चालु नहीं हो पाया है।
2. समय– समय पर कामगारों के मजदूरी सरकार द्वारा दर में बढ़ोतरी के कारण सशक्त स्थाई समिति के निर्णय के आलोक में बढोतरी की गई है।
3. सरकार के निर्देश के आलोक में विज्ञापन के माध्यम से चयन किया गया है।

उपरोक्त जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये संचिका में संलग्न एकरारनामा जो जनवरी 2007 में किया गया था उसमें संस्था को भुगतान मासिक राशि में वृद्धि का प्रावधान नही था। एकरारनामा के अनुसार ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन का कार्य नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में प्रतिमाह भुगतान राशि में वृद्धि का प्रावधान नहीं था तथा सफाई एवं ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के कार्य को विस्तार से स्पष्ट नहीं किया गया था। संस्था का चयन कितने वर्षो के लिए किया गया था यह एकरारनामा से स्पष्ट नही था। ऐसी स्थिति में एकरारनामा किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार संस्था को सफाई कार्य हेतु किया जा रहा उक्त भुगतान अनियमित था। संस्था के चयन से संबंधित दस्तावेज अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

विवरणी

शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र को वर्ष 2015–16 में सफाई कार्य हेतु भुगतान की विवरणी :–

क्र.सं.	तिथि	चेक सं.	अभिश्रव सं.	राशि (₹में)	माह
1	09.04.15	543463	01	648000	मार्च– 15
2	14.05.15	543470	08	648000	अप्रैल– 15
3	19.06.15	858180	02	648000	मई– 15
4	09.07.15	860727	09	648000	जून– 15
5	12.08.15	860738	20	648000	जुलाई– 15
6	16.09.15	281447	31	648000	अगस्त– 15
7	05.12.15	281467	51,52,53	1944000	सितम्बर, अक्टुबर, नवम्बर– 15
8	05.12.15	281482	67,68	1296000	दिसम्बर– 15 एवं जनवरी– 16
9	29.03.16	281451	77	648000	फरवरी– 16
		कुल		7776000	

कंडिका:05

वाहन के निबंधन में विलम्ब किए जाने के कारण परिहार्य व्यय रुपये 19689

नगर निगम, पूर्णियॉ के 2015–16 लेखाओं के लेखापरीक्षा कम में 13वीं वित्त से संबंधित अभिश्रवों की नमूना जॉच में पाया गया कि तीन अदद ट्रक माउण्टेड वाटर टंकी (i) BR11GA1325 (ii) BR11GA1326 (iii) BRG11GA 1327 का निबंधन ससमय नहीं किये जाने के कारण जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उपरोक्त वाहनों के निबंधन हेतु 19689 (6563x3) का अर्थदण्ड लगाया गया था जिसका भुगतान निगम कार्यालय द्वारा दिनांक 16.10.15 को किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्रकिया में विलंब के कारण विलम्ब दण्ड दिया गया है। राशि सरकार के खाते में ही जमा हुआ है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि समय से जमा नहीं किये जाने से नगर निगम की राजस्व की हानि हुई थी जिसका उपयोग विकास के कार्यो में किया जा सकता था। राशि सरकार के खातें में ही जमा हुआ कहना जवाबदेही के प्रति उदासीनता का द्योतक है। अतः रुपये 19689.00 का परिहार्य भुगतान जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

कंडिका संख्या:06

आपदा प्रभावित परिवारों को वितरित राशि में पारदर्शिता का अभाव राशि रुपये 1266.44 लाख

दिनांक 21.04.2015 को रात्रि में जिलान्तर्गत आये चक्रवाती तूफान के आलोक में दिनांक 22.04.2015 को आयोजित आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही में बताया गया कि दिनांक 21.04.2015 को रात्रि लगभग 10.00 बजे पूर्णियॉ जिले में आये चक्रवाती तुफान/वर्षा से जिलान्तर्गत जान माल की भारी

क्षति हुई है। जिला पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने एवं नियमानुसार अनुमान्य सहायता पीड़ित परिवारों को तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त (आपदा सहाय्य पीड़ित परिवारों को तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराने का) आपदा सहायता के मापदण्डों से संबंधित **Govt. of Inida, Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division)** के पत्र सं.– 32–7/2014–**NDM-I, dated** 08.04.15 द्वारा निर्गत अधतन प्रावधान की प्रति अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया।

बैठक की कार्यवाही में यह जानकारी दी गयी कि जिन प्रभावित व्यक्तियों का वस्त्र पूर्णतया नष्ट हो गया है, उन्हें 1800/– रूपये प्रति परिवार तथा जिन परिवारों का बरतन बगैरह बर्बाद हो गया है उन प्रभावित परिवारों को 2000/– रूपये की दर से भुगतान किया जाना है। उसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को 30 दिनों के लिए मुफ्त सहायता के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के साथ– साथ 2000/– नगद अनुदान प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जाना है। यह भी निदेशित किया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में उक्त चक्रवाती तुफान से प्रभावित परिवार को चिन्हित कर निर्धारित मानक के अनुसार अनुमान्य सहायता का पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय प्रखण्ड/पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति के समक्ष वितरण करायेंगे साथ ही सहायता प्रभावित परिवार/व्यक्तियों की सूची जिला के वेबसाइटों (**http://purnea.bih.nic.in**) पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अंकेक्षण में प्रस्तुत आपदा से संबंधित संचिका एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा पूर्णियॉ द्वारा प्राप्त आवंटन एवं व्यय प्रतिवेदन के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 226181400/– आवंटन आपदा मद में प्राप्त हुआ था, जिसका व्यय विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	व्यय का विवरण	राशि
1	सामान्य @2000	43616000
2	वस्त्र @ 1800	39254400
3	बर्तन @ 2000	43616000
4	चिकित्सा अनुदान	25800
5	वाहनों का भाड़ा	31608
6	आपदा कार्य हेतु आपूर्ति की गई इंधन	75767
7	आकस्मिकता	25000
	कुल योग	126644575

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) आपदा प्रबंधक टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही के अनुसार सहाय्य परिवारों/व्यक्तियों की सूची जिला वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया।

(ii) उक्त बैठक कार्यवाही के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में उक्त चक्रवाती तूफान से प्रभावित परिवारों को चिन्हित नहीं किया गया तथा उसी सूची के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। उपरोक्त निर्देशों का पालन नगर निगम दारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों की वितरण सूची में लाभुक का पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति नहीं ली गई थी तथा लाभुक का पूर्ण पता भी अंकित नहीं था।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि

1. जिला आपदा कार्यालय को लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दिया गया है।
2. स्रकार के निदेशानुसार पीड़ित परिवारो का सर्वेक्षण कर आपदा राहत का वितरण किया गया है।
3. स्थानीय नागरिकों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के पहचान पर वितरण किया गया है।

जवाब के आलोक में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब मान्य नहीं है। अंकेक्षण टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि आपदा कि राशियों का वितरन में पारदर्शिता नहीं अपनायी गयी जिसके कारण राशि के वितरण में अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अत इसे उच्च पदाधिकारी से इसकी जॉच कराकर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका संख्याः 07

धृति कर शास्ति (विलंब शुल्क) की कम वसूली/वसूली नहीं राशि रुपये 2.18 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3533 दिनांक 27.08.09 के निर्देश सं. 6 एवं 7 के अनुसार 1 अप्रैल से सितम्बर तक 6 माह का टैक्स का किश्त उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक देने पर कोई दण्ड नहीं लगेगा। उसी प्रकार 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का टैक्स 30 जून तक देने में कोई दण्ड नहीं लगेगा। उक्त निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत का दंड स्वतः अधिरोपित होगा और अधिक देरी होने की स्थिति में अधिनियम के (बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007) के प्रावधानों के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 938 दिनां0क 25.02.10 में काल्पनिक उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया गया कि दिनांक 30.09.2009 तक00 के देय समस्त कर पर दिनांक 02.02.2010 से 2 प्रतिशत मासिक विलम्ब प्रभार लिया जा 00सकता है।

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं. 1137 दिनांक 08.05.13 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 बनाया गया, जिसके कंडिका 12 के अनुसार वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक उस वर्ष का यदि संपूर्ण धृति कर का भुगतान कर दिया जाता है तो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी। वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर के बाद बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा। पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक

45/Reforms 13FC/2013-14/907 दिनांक 31.12.2014 द्वारा नगरपालिका सम्पत्ति कर नियमावली 2013 की कंडिका 12 के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013–14 से लागू किए गए हैं।

उपरोक्त निर्देशों एवं नियमावली से स्पष्ट है कि उपरोक्त नियमों एवं प्रावधानों के अधीन पूर्व के बकाया धृति कर पर दिनांक 01.02.10 से 31.03.13 तक 2 प्रतिशत मासिक एवं 01.04.2013 से भुगतान के माह तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज (दंड) वसूला जाना है।

नगर निगम पूर्णियॉ के वर्ष 2015–16 के Holding tax रसीदों के जॉच कम में वसूल किए गए दंड के नमूना जॉच में पाया गया कि वसूल किए गए दंड उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं किए जाने के कारण वास्तविक दण्ड से कम था या फिर दंड की वसूली नहीं की गई थी (विवरणी संलग्न है)।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय– समय पर दण्ड के छूट का प्रावधान किया गया है। उक्त जवाब मान्य नहीं है क्योंकि जवाब के साथ संलग्न सरकार के पत्र में वसूली की गयी होल्डिग कर के समय में दण्ड माफी का प्रावधान नहीं था।

अतः वास्तविक दण्ड से कम या फिर दंड की वसूली नहीं की गई राशि का जमा कराय जाने हेतु कार्रवाई की जाये तथा लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कम/नहीं वसूली गई दंड(शास्ति)की विवरणी

क्र0 सं0	रसीद सं0	दिनांक (भुगतान की तिथि)	पुराना बकाया अवधि	पुराना बकाया रकम(रू0में)	गत बर्ष(2014-15) का रकम	चालुबर्ष (2015-16) का रकम	लिया गया दण्ड	वास्तविक दण्ड	अंतर
1	46702	10-04-15	2001-02 से 2013-14	3025	150	-	1035	3010	1975
2	46718	13-04-15		-	35000	-	0	3675	3675
3	46735	05-05-15	1997-98से 2013-14	1675	125	-	300	1555	1255
4	46736	05-05-15	1998-99से 2013-14	13320	450	-	2000	13962	11962
5	46744	25-05-15	1997-98 से 2013-14	3230	190	-	395	3190	2795
6	47451	06-07-15	1997-98 से 2013-14	15250	500	-	540	16185	15645
7	47438	30-06-15	1997-98 से 2013-14	2125	125	-	150	2135	1985
8	47409	07-05-15	1978-79 से 2013-14	6700	500	-	540	6371	5831
9	48130	08-06-15	2001-02 से 2013-14	1950	150	-	500	1874	1374
10	48136	14-06-15	2005-06से 2009-10	1300	-	-	0	1489	1481
11	48142	20-06-15	1997-98 से 2013-14	2250	-	-	0	2576	2576
12	48607	01-07-15	2006-07 से 2013-14	4800	600	-	2000	4110	2110
13	48614	06-06-15	2006-07 से 2013-14	2000	250	-	500	1694	1194
14	48667	04-09-15	1997-98 से 2013-14	1875	125	-	500	1939	1439
15	50513	16-07-15	1997-98 से 2013-14	2125	125	-	450	2169	1719
16	50514	17-07-15	2006-07 से 2013-14	2000	125	-	840	2024	1184
17	50523	19-07-15	2003-04से 2009-10	2825	-	-	0	3360	3360
18	50539	31-07-15	1992-93 से 2013-14	2750	125	-	470	2972	2502
19	50556	06-08-15	2006-07 से 2013-14	2000	250	-	450	1814	1364

20	50557	06-08-15	2006-07 से 2013-14	2000	250	-	450	1814	1364
21	52695	13-09-15	1997-98 से 2013-14	3125	250	-	500	3133	2633
22	54840	29-09-15	2006-07 से 2013-14	2000	250	-	450	1795	1345
23	54843	29-09-15	2001-02 से 2013-14	3250	250	-	700	3282	2582
24	56894	13-12-15	1997-98 से 2013-14	4505	265	-	962	4958	4296
25	56617	21-11-15	2006-07 से 2013-14	1600	200	-	744	1448	704
26	56622	23-11-15	1990-91 से 2013-14	3375	-	-	0	4168	4168
27	56650	08-12-15	1998-99 से 2013-14	7525	-	-	-	9293	9293
28	56659	12-12-15	1997-98 से 2013-14	2725	200	-	540	2792	2252
29	56673	17-12-15	2006-07 से 2013-14	5000	625	-	1720	4488	2768
30	56677	19-12-15	2009-10 से 2010-11	3750	-	-	1125	3318	2193
31	58808	16-12-15	-	-	30000	-	6660	6750	90
32	58824	17-12-15	1999-2000 से 2013-14	1875	125	-	540	2029	1489
33	58832	18-12-15	-	-	-	43258	0	1946	1946
34	60401	02-01-16	1997-98 से 2013-14	2560	-	-	0	3200	3200
35	60420	18-01-16	2006-07 से 2013-14	8820	-	-	2250	9084	6834
36	60445	03-02-16	2006-07 से 2013-14	2400	300	-	810	2311	1501
37	60470	15-02-16	1997-98 से 2013-14	6120	-	-	0	7742	7742
38	65038	15-03-16	1997-98 से 2013-14	8730	450	-	2268	10038	7770
39	65059	29-03-16	2001-02 से 2013-14	3200	-	-	-	4048	4048
40	65060	30-03-16	2006-07 से 2013-14	3000	375	-	0	2989	2989
41	61001	07-01-16	2007-08 से 2013-14	1890	270	270	865	1760	895
42	64505	22-02-16	1997-98 से 2013-14	2125	125	-	400	2406	2006
43	64506	22-02-16	1997-98 से 2013-14	2125	125	525	651	2446	1795
44	64536	24-02-16	2005-06 से 2013-14	36585	4060	-	12765	37042	24277
45	66655	28-03-16	2004-05 से 2013-14	2500	250	-	790	2638	1848
46	65257	11-03-16	2006-07 से 2013-14	20000	2500	-	5000	19975	14795
47	65271	14-03-16	2006-07 से 2013-14	10000	1250	-	5250	9988	4738
48	61769	25-01-16	2006-07 से 2013-14	2000	250	-	750	1930	1180
49	61774	27-01-16	2006-07 से 2013-14	1000	125	-	414	965	551
50	61776	27-01-16	2006-07 से 2013-14	3200	-	-	800	3292	2492
51	59511	04-01-16	2008-09 से 2013-14	4700	450	-	900	4848	3948
52	59563	10-02-16	1997-98 से 2013-14	2740	160	-	476	3102	2626
53	59564	10-02-16	1997-98 से 2013-14	3400	200	-	594	3845	3251
54	54505	06-09-15	2007-08 से 2013-14	2800	175	-	650	2894	2244
55	54588	13-12-15	1997-98 से 2001-02	2200	-	-	0	2354	2354
56	66367	27-03-16	2004-05 से 2013-14	4700	470	-	1000	4958	3958
57	63921	12-2-16	2006-07 से 2013-14	2000	250	-	950	2334	1384
58	63932	24-2-16	1992-93 से 2013-14	3750	250	-	500	4178	3678
59	58962	08-01-16	1998-99 से 2013-14	4120	265	-	1011	4546	3535
कुल									218188

कंडिका संख्याः 08

मोबाईल टावर का बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की कुल राशि रुपये 161.71 लाख की वसूली नहीं

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों के पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 50000 प्रतिटावर प्रतिवर्ष लिया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रति टावर रू. 15000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क भी वसूलनीय है। एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क वसूलनीय है। इसके अतिरिक्त वार्षिक फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम के रूप में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप से देय होगा वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा।

नगर निगम पूर्णियॉ द्वारा मोबाइल टावर से संबंधित प्रस्तुत मॉग विवरणी वर्ष 2015–16 के अनुसार नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 12 मोबाइल टावर कम्पनी के कुल 143 टावर विभिन्न स्थानों पर संस्थापित था। प्रस्तुत मॉग विवरणी के अनुसार कुल 12 टावर कम्पनी पर दिनांक 21.10.16 तक कुल राशि 16171000 पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के रूप में बकाया था।

अंकेक्षण में प्रस्तुत मोबाईल ट्रांशमीशनल टावर विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मांग एवं वसूली विवरण में निम्न त्रुटियॉ पायी गयी

(i) टावर पर बकाया राशि पर उपार्जित ब्याज की गणना नहीं की गयी है तथा उसे अवशेष बकाया राशि में जोड़ा नहीं गया है।

(ii) विवरणी के अनुसार स्थापित टावरों पर बकाया नवीकरण शुल्क राशि एवं कितनी अवधि से बकाया है यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) टावर पर लगाये गये अतिरिक्त एंटिना का 60 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क लगाया जाना है लेकिन विवरणी से स्पष्ट नहीं होता है कि अतिरिक्त एंटीना की संख्या कितनी है तथा उस पर कितनी अवधि का पंजीकरण शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क बकाया है।

इसके अतिरिक्त, अंकेक्षण में प्रस्तुत मनी रसीद एवं वसूली की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में बकाया टावर का नवीनीकरण शुल्क के रूप में मात्र राशि 635000 वसूली की गयी थी। विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	मनी रसीद सं./तिथि	राशि	विवरण
1	16621/27.07.15	360000	वोडाफोन स्पेक्टेल लिमिटेड कुल 29 मोबाईल टावर का नवीकरण शुल्क
2	16628/03.09.15	75000	Dishnet wireless limited (एयरसेल)
3	16650/04.12.15	200000	Reliance Jio
		635000	